न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 127 / 2017 (उदयपुर डिक्री)

1. श्रीमती वकतु बाई विधवा स्वर्गीय नाथू जी सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. सोहनलाल पिता स्वर्गीय नाथू जी सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. रामलाल पिता स्वर्गीय नाथू जी सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती नारू बाई पत्नी धूलचन्द जी सुथार, निवासी हाथीधरा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
5. श्रीमती अमरती बाई पत्नी ऊँकार जी सुथार, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती उदी बाई पत्नी भंवरलाल जी सुथार, निवासी भुवाणा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. मोहनलाल पिता स्वर्गीय हंसराज जी सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
2. लक्ष्मीलाल पिता स्वर्यीय हंसराज जी सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती अमरती बाई पत्नी उदयलाल जी सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
4. श्रीमती कमला बाई पत्नी तोलराम जी सुथार, निवासी देबारी मृतक के बजाय :–

4 / 1. तोलाराम पिता का नाम मालुम नहीं निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4 / 2. देवीलाल पिता तोलाराम निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4 / 3. खुबीलाल पिता तोलाराम निवासी देबारी, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (राज.)

4 / 4. श्रीमती नर्बदा बाई पत्नी शान्तिलाल जी सुथार, निवासी गांव बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

5. श्रीमती सीता बाई पत्नी नारायण जी सुथार, निवासी अम्बेरी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
6. श्रीमती गणेशी बाई पत्नी श्याम जी सुथार, निवासी वुरडा, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

7. हीरालाल पिता स्वर्गीय नाथू जी सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)
8. दिनेश पिता शान्तिलाल जी जैन, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
9. हेमेन्द्र पिता विजयलाल जी जैन, निवासी सवीना, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

..... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा
दिनांक 10.07.2017 प्र.सं. 142/2015

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री के.एल. चोर्डिया अभिभाषक अपीलान्ट 1 से 3, 6
2– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्ट संख्या 2
3– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 1 से 3
4– श्री चन्द्र प्रकाश पुरोहित अभिभाषक रेस्पो. सं. 7
5– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 10

———::———

निर्णय **दिनांक 26–10–2023**

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 1 व 2 अनुसार होकर ग्राम बड़ी में वाद पत्र की कलम संख्या 3 से 8 तक में वर्णित आराजियात स्थित है। वाद पत्र की कलम संख्या 7 वर्णित हाल आराजी नंबर 1714, 1716, 1718, 1722 व 1723 कुल किता 5 रकबा 0.7650 हैक्टर में वादी ने अपना 6/14 हिस्से का विक्रय प्रतिवादी संख्या 9 व 10 को कर दिया तथा शेष हिस्सा वादीगण का रहा तथा वाद पत्र की कलम संख्या 8 अनुसार आराजी नंबर 1709, 1711, 1712 व 1721 कुल किता 4 रकबा 0.3200 हैक्टर भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में रही। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य पूर्व में राजीनामा अनुसार डिक्री होकर पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की आराजियात पर काबिज हैं। केवल खाते में परिवर्तन नहीं होने के कारण वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार कर वाद पत्र की कलम संख्या 5 में अंकित साबिक आराजी नंबर जिसके हाल आराजी नंबर कलम संख्या 7 में अंकित है भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 8

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

के हिस्से में पूर्व में चले मुकदमे में हुए राजीनामे अनुसार वादी को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–07–2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत में रखकर खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09–08–2017 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्र प्रकाश पुरोहित उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 10 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए, जबकि शेष रेस्पोन्डेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अपीलान्ट द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों एवं लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय में प्रकरण कायमी तनकियात में नियत था व तनकियात पूर्व ही आदेश 7 नियम 14 (3) व आदेश 8 नियम 9 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई चल रही थी तथा दिनांक 10–07–2017 को प्रकरण इन्हीं प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु नियत था, किन्तु बिना तनकिया कायम किये एवं बिना साक्ष्य सबूत लिये प्रकरण राजस्व कैम्प में रखकर अपीलान्टगण का वाद खारिज कर दिया जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है तथा स्पीकिंग आर्डर नहीं है। विवादित आराजियात वादीगण के पूर्वज नाथू जी सुथार एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 6 के पूर्वज हंसराज जी सुथार द्वारा क्रय की गयी था तथा जिस व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय की गयी उनके मध्य मौके पर विभाजन हो चुका था तथा विक्रय पत्र के अनुसार विक्रेता उंकार के हिस्से की भूमि हंसराज को विक्रय की गयी जबकि विक्रेता हीरालाल के हिस्से की भूमि नाथू जी सुथार को विक्रय की गयी, लेकिन खाते में नाथू व हंसराज का बराबर–बराबर हिस्सा गलत अंकित हो गया, इसी कारण मुकदमा नंबर 167/1988 प्रस्तुत हुआ था जो दिनांक 10–03–1997 को सही निर्णय पारित किया गया, लेकिन निर्णय की पालना में राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद नहीं हुआ, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई गौर नहीं किया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीर RRT 2014-15 (S[illegible]age 56 प्रस्तुत की।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि सम्मत है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर संलग्न रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 26–12–2012 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा विवादित आराजियात में अपना कुलिया 6/14 हिस्सा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 व 9 को कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण द्वारा अपना सम्पूर्ण 4/16 हिस्सा प्रतिवादी को विक्रय कर दिये जाने के कारण तथा पूर्व में प्रतिवादी का भी बंटवारा हो जाने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अभिभाषक अपीलान्ट ने इस संबंध में जो न्यायिक नजीर RRT 2014-15 (Supp.) Page 56 प्रस्तुत की है वह आदेश 7 नियम 11 के संबंध में है, जबकि उक्त प्रकरण आदेश 7 नियम 11 के आधार पर खारिज नहीं किया गया है। तद्नुसार उक्त नजीर इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 26–10–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....

व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

श्रीमती वकतुबाई विधवा स्व. नाथू सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य बनाम **मोहनलाल पिता स्व. हंसराज सुथार, निवासी बड़ी, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**127/2017**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा** ..... मुकाम.....मुवर्खे.....**10**.....माह.....**07**.....**2017**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**26**.....माह.....**10**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**के.एल.चोर्डिया/नरेन्द्र सोनी....**मिनजानिब अपीलान्ट व...**संजय बोहरा/चन्द्रप्रकाश पुरोहित**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 10–07–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**26**.....माह.....**10**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:02:01 IST
Reason: SelfAttested